संख्या-684/18-4-2025/18-4099/31/2025

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ 03, सितम्बर, 2025

विषय- उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न "उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के प्रख्यापन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया प्रश्नगत प्रकरण में तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-684(1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय एवं सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8- आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
9- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन लखनऊ।

11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को संलग्नक सहित।

12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उ0प्र0 प्रयागराज को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नीति का प्रख्यापन गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ शासन को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1/2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।

14- निर्यात आयुकत, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ को संलग्नक की प्रति सहित।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>शासनदेश सं0-684/18-04-2025-18-4099/31/2025 दिनांक-03/09/2025 का संलग्नक</u>

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30

उत्तर प्रदेश आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है, जो एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत के निकट भविष्य में पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करने के लिए के लिए तत्पर है। देश/प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के विकास में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान है। निर्यात न केवल महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है अपितु अतिरिक्त रोजगार सृजन का साधन, बाजार विविधता के माध्यम से जोखिम को कम करने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ घरेलू फर्मों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा का भी निर्धारक होता है, इसी कारण निर्यात को अर्थ व्यवस्था के विकास का इंजन भी माना जाता है।

बीते दशक में उ0प्र0 में शासकीय नीतियों के कारण अवसंरचना में तीव्र विकास के कारण न केवल कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई है बल्कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि, कौशल उन्नयन के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। उक्त वृद्धि का लाभ निर्यात क्षेत्र में प्राप्त हो सके इसके लिए एक नवीन निर्यात नीति की आवश्यकता है। देश के अन्य भू-आबद्ध राज्यों जैसे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश इत्यादि द्वारा हाल ही में प्रख्यापित निर्यात नीतियों के अन्तर्गत अपने निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं एवं सहायता में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए योजनाओं में समयानुसार परिवर्तन किये गये है। प्रदेश के उत्पादो को अन्य राज्यों एवं तटवर्ती राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाये जाने हेतु उ0प्र0 निर्यात नीति 2020-25 में आवश्यकतानुसार सुधार/नवीन प्राविधानो को शामिल करते हुए नवीन प्रोत्साहन नीति बनाया जाना आवश्यक है।

निरंतर प्रगतिशील वैश्विक बाजार के परिवर्तन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदेश के निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाये जाने हेतु, विदेश व्यापार नीति 2023 के संगत व्यवस्था करते हुए प्रस्तावित नवीन नीति में अनेक नवीन प्रगतिशील प्रतिमान यथा- ई-कॉमर्स, डिजीटल मार्केटिंग, डिजीटल कैटलॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर होने वाले व्यय पर उपादान प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए नवीन नीति को वर्तमान वैश्विक मांग के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है।

प्रदेश के निर्यातकों को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु प्रथम बार डाक घर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात, ई0सी0जी0सी0 कवरेज पर होने वाले व्यय पर अनुदान प्रदान करने के साथ-साथ परफॉरमेंस लिंक्ड इन्सेंटिव्स प्रदान किये जाने की व्यवस्था नवीन नीति में की गयी है जिससे प्रदेश के नवोदित निर्यातक व स्टार्टअप्स विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। नवीन निर्यात नीति में वर्तमान प्रचलित उपादान आधारित योजनाओं में प्रदत्त विभिन्न मदवार उपादान की दरों में प्रभावी वृद्धि की गयी है। साथ ही अल्प मात्रा में निर्यात करने वाले प्रदेश के उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने हेतु प्रथम बार एल0सी0एल0 शिपमेंट्स पर उपादान दिया जाना भी प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा चिन्हित चैम्पियन सर्विस सेक्टर के अनुरूप प्रदेश में प्रथम बार सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को भी उपादान प्रदान किये जाने की व्यवस्था करते हुए नवीन नीति निर्यातकों हेतु अधिक उपयोगी व मैत्रीपूर्ण बनाया गया है। निर्यात आधारित अवस्थापना के समग्र दीर्घकालिक विकास हेतु नवीन नीति में ऐसी अवस्थापनायें सुविधायें स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है जोकि जनपदों की विशिष्ट आवश्यकताओं व ईकोसिस्टम के अनुरूप प्रमाणीकरण, पैकेजिंग व लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में वृद्धि करते हुए निर्यात को समर्थन प्रदान करेंगी।

वित्तीय उपादान के अतिरिक्त नवीन पॉलिसी में ईज ऑफ डुइंग एक्सपोर्ट की अवधारणा कर कार्य करते हुए स्थानीय स्तर पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, मार्केट रिसर्च, मिशन निर्यात प्रगति, प्रभावशाली शिकायत निवारण प्रणाली व वन स्टॉप डिजीटल इन्फॉरमेशन हब स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गयी है जोकि निर्यातकों के लिए एक अधिक जवाबदेह व मैत्रीपूर्ण ईकोसिस्टम को सुनिश्चित करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 29.10.2020 को उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 घोषित की गयी है। भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति 2023 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानवीय संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों, प्रदेश में विद्यमान संभावनाओं का उपयोग, युवाओं का रोजगार सृजन, निर्यात की दिशा में त्वरित वृद्धि तथा प्रदेश में निर्यातपरक प्रोत्साहनात्मक वातावरण के सृजन आदि के उद्देश्य से उपयुक्त रणनीतियों को समावेशित करते हुए प्रदेश की निर्यात नीति तैयार की गयी है। निर्यात नीति का प्रख्यापन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है-

2. नीति का दृष्टिकोण एवं उद्देश्य

2.1 दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश को वैश्विक मान्यता प्राप्त निर्यात हब के रूप में स्थापित करना।

2.2 मिशन

(1) निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

(2) निर्यात प्रोत्साहन निकायों एवं निर्यात सहायक संस्थाओं को आवश्यक सहायता व सेवाएं प्रदान करना।

(3) राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास।

(4) उद्योगों के निर्यात सामर्थ्य के विकास हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

(5) स्थानीय/देश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरो का चिन्हांकन करना।

(6) निर्यात संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।

2.3 उद्देश्य

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 का उद्देश्य निम्नलिखित होगा-

(a) निर्यात वृद्धि - प्रदेश के निर्यात को वित्तीय वर्ष 2024 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2030 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को प्राप्त करना।

(b) समावेशी विकास को बढ़ावा- निर्यात गतिविधियों में सभी जनपदों की भागीदारी को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना।

(c) निर्यात-उन्मुख अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण- नीति अवधि में निर्यात-उन्मुख अवसंरचना के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का समर्थन करना।

(d) एक्सपोर्ट नेटवर्क को विस्तारित करना- वित्तीय वर्ष 2030 तक पंजीकृकृत निर्यातकों की कुल संख्या मे 50 प्रतिशत की वृद्धि करना।

3. भारत सरकार के निर्यात दृष्टिकोण के साथ समन्वय

पिछले दशक में, तकनीकी प्रगति, उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं नवाचारों के फलस्वरूप भारत के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में उन्नत क्षेत्रों में डाइवरसीफिकेशन परिलक्षित हुआ है तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देश ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार ने व्यापार प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत इन्टरवेंशन्स किये है जिसने निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवाओं के निर्यात में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना है, जो चार प्रमुख स्तंभों द्वारा समर्थित है- (1) प्रोत्साहन से remission (2) निर्यातक, राज्य, जिला और भारतीय मिशन के सहयोग से निर्यात प्रोत्साहन, (3) ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करते हुए, ई-इनिशिएटिव को अंगीकृत कर ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देना, (4) उभरते क्षेत्रों का अन्वेषण करना, जिसमें ई-कॉमर्स अवसरों का लाभ उठाना भी सम्मिलित है, (2030 तक भारत से ई-कॉमर्स के माध्यम से 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात होने का अनुमान है), जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना, और SCOMET (विशेष रसायन, जीवाणु, सामग्री, उपकरण, और प्रौद्योगिकियां) नीति को सरल बनाना।

उक्त के आलोक में राज्य द्वारा भारत सरकार के विजन 2030 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक सक्रिय, फ्यूचर रेडी एक्सपोर्ट स्टैटजी अपनायी जायेगी और निर्यात मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि को सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी। एक अनुपूरक निर्यात नीति संरचना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश अपने एक्सपोर्ट इको सिस्टम को सुदृढ़ कर, उभरते वैश्विक अवसरों से लाभान्वित होते हुए भारत के निर्यात परक विकास में प्रमुख संचालक की भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

4. क्रियान्वयन रणनीति - निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न रणनीति अपनाई जायेगी-

i- भारत सरकार के विभिन्न निर्यात परक विभागों एवं संस्थाओं जैसे निर्यात संवर्धन परिषदों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (फियो), इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT इत्यादि के बीच समन्वय सुदृढ़ करना। इस हेतु केंद्र राज्य समन्वय प्रकोष्ठ (Centre State Coordination Cell) का गठन किया जायेगा।

ii- उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से प्रदेश की इकाईयों को विपणन विकास सहायता हेतु वर्चुअल/फीजिकल मेला प्रर्दशनियों में प्रतिभाग में सहयोग करना।

iii- निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण

iv- मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इण्डिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन।

v- निर्यात योग्य उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग करना।

vi- निर्यात की प्रबल संभावनाओं वाले जनपदों के उत्पाद तथा सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vii- निर्यात संबंधी अवस्थापना विकास हेतु निर्यात उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किया जाना।

viii- हस्तकला समूहों को प्रोन्नत करते हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की गयी है। इसमें हस्तशिल्प समूहों मार्जिन मनी, क्षमता विकास तथा तकनीकी अवस्थापना (रू0 15 करोड़ की सी.एफ.सी तक) हेतु सहायता दी जाती है। ओडीओपी सीएफसी योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव में से ओडीओपी उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने/उनके निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्तावों को वरीयता प्रदान करना।

ix- ऐसे उत्पाद समूह जो ओडीपी योजनान्तर्गत आच्छादित नही हैं किन्तु निर्यात की सम्भावना रखने वाले हो, को ब्यूरो द्वारा रू0 15 करोड़ तक की सीएफसी की स्थापना हेतु सहायता देने की रणनीति बनाना।

x- सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान किया जाना।

xi- उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थाओं तथा उत्पाद आधारित औद्योगिक संस्थानों के साथ MOU संपादित किया जाना।

xii- परिवहन लागत, बाजार विकास, प्रमाणीकरण इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना।

xiii- उत्तर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु एक विश्लेषणात्मक डाटा बेस का निर्माण।

xiv- प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात अवस्थापना के विकास हेतु पब्लिक-प्राइवेट इनिशियेटिव्श को प्रोत्साहित करना।

xv- जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ीकरण।

xvi- उद्यमियों तथा राज्य के अधिकारियों में निर्यात संबंधी ज्ञान के प्रसार हेतु मांग के अनुसार क्षमता विकास की कार्यशालाएं आयोजित करना।

xvii- ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ समझौता ज्ञापन करना।

xviii- डाक घर निर्यात केंद्रों के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन।

xix- निर्यातकों हेतु एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंश तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना।

xx- बाजार अन्वेषण हेतु विदेशी व्यापार दूतावासों के साथ सहयोग।

xxi- मार्केट इंटेलिजेंस और डेटा आधारित निर्णयन का निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किये जाने हेतु प्रमुख संस्थानों यथा आई.आई.टी. आई.आई.एम. एवं अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों में मार्केट रिसर्च चेयर्स की स्थापना।

xxii- निर्यात प्रोत्साहन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और रणनीति निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना।

xxiii- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ीकरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

xxiv- प्रमुख हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात रणनीति समिति का गठन।

5. नीति की वैधता

यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2029-2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति के कार्यान्वयन की मध्यावधिक समीक्षा की जाएगी ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि नीति द्वारा प्राप्त परिणाम इसके घोषित दृष्टिकोण और उद्देश्यों के अनुरूप हैं या नहीं। उक्त के अतिरिक्त प्रचलित नियमों में परिवर्तन होने पर नीति के प्रावधानों में संशोधन आवश्यक होने की स्थिति में, इस नीति में संशोधन पहले भी किए जा सकते हैं। यदि नीति में कोई संशोधन किया जाता हैं, तो राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रदान किये जा रहे किसी भी प्रोत्साहन पैकेज को वापस नहीं लिया जाएगा और पात्र इकाइयां लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनी रहेंगी।

6. नीति क्रियान्वयन हेतु संस्था

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2025-30 के क्रियान्वय सम्बन्धी कार्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश (EPBUP), 8-कैण्ट रोड कैसरबाग, लखनऊ द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

7. निर्यात के फोकस क्षेत्र

प्रदेश के एक्सपोर्ट बास्केट में विस्तार किये जाने हेतु प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है। निर्यात के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नवत है-

- हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र और वस्त्र उत्पाद, कारपेट, कृषि एवं खाद्य सामग्री, रासायनिक और औषधीय उत्पाद, चर्म उत्पाद, स्पोटर्स गुड्स, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, सेवा क्षेत्र (शिक्षा, मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं, आई.टी और आई.टी.ई.एस, पर्यटन एवं आतिथ्य)

8. निर्यात हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

प्रदेश की निर्यात अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करने तथा वैश्विक बाजारों में प्रदेश के निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही विपणन विकास सहायता योजना, वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना और गेटवे पोर्ट तक मालभाड़े पर अनुदान योजना के अतिरिक्त, इस नीति में चार नई सहायता योजनाओं का प्रस्ताव है - ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना, निर्यात प्रदर्शन- आधारित प्रोत्साहन, डाक घर निर्यात केन्द्र सहायता योजना तथा निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस सहायता योजना।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत निर्यातक इकाईयां इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र होंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टस के साथ-साथ मर्चेंट एक्सपोटर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भी सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र होंगी। योजनावार देय सहायता धनराशि को प्रतिवर्ष मुद्रा स्फीति के अनुरूप समायोजित किया जायेगा।

8.1 विपणन विकास सहायता योजना

8.1.1 प्रदेश के निर्यातको में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विपणन सामर्थ के विकास, प्रमुख वैश्विक बाजारों एवं उनकी मांग के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम क्षेत्र के निर्यातको को मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स (वस्तुओं के निर्यात) हेतु विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए प्रति निर्यातक प्रति वर्ष रू0 25 लाख की वित्तीय सहायता अनुमन्य है। संदर्भित योजनान्तर्गत निम्न गतिविधियां आच्छादित है:-

1- निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग पर स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 3.25 लाख एवं वायुयान के इकोनामी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.25 लाख की आर्थिक सहायता।

2- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों में निर्यातक इकाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने पर स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 75 हजार एवं वायुयान के इकोनामी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 30 हजार की आर्थिक सहायता।

3- निर्यातक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल फेयर अथवा बायर्स सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु निर्यातक इकाई द्वारा किये गये कुल व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 25000 प्रति फेयर की आर्थिक सहायता अनुमन्य।

4- निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, कैटलॉग प्रिंटिंग, वेबसाइट का विकास, डिजिटल कैटलॉगिंग, डिजिटल सामग्री विकास, डिजिटल मार्केटिंग, और सोशल मीडिया विज्ञापन पर वास्तविक व्यय धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 1 लाख की वित्तीय सहायता अनुमन्य।

5- विदेशी क्रेता को नमूने भेजने पर किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 2 लाख प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रति निर्यातक इकाई अनमुन्य।

6- निर्यात संबंधी सर्टीफिकेशन्स प्राप्त किये जाने पर निर्यातक इकाई द्वारा संदंर्भित प्रमाणीकरण प्राप्त किये जाने पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता अनुमन्य। इस श्रेणी अन्तर्गत विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में किसी निर्यातक इकाई को अनुमन्य कुल वित्तीय सहायता धनराशि रू0 25 लाख की सीमान्तर्गत सहायता हेतु दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

a- विदेशी मेला प्रदर्शिनयों एवं बायर्स सेलर्स मीट के आयोजन हेतु राज्य / केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों / मन्त्रालयों के अन्तर्गत गठित निर्यात संवर्धन परिषदे/ट्रेड प्रमोशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बॉडीज एवं पात्र संस्थाओं को मेले के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 3 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

b- अन्तर्राष्ट्रीय स्वदेशी मेला प्रदर्शनी एवं बायर्स सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि अधिकतम रू0 1 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में अनुमन्य।

c- वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन पर कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 25 लाख की धनराशि सहायता के रूप में अनुमन्य।

योजनान्तर्गत विशेष रूप से प्रमाणीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि निर्यातक वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बढ़ते अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। संदर्भित श्रेणी में वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा हटा दी गई है, जिससे एक निर्यातक प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में रू0 25 लाख तक की सीमान्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकता है, यदि उसके द्वारा अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत कोई दावा न किया गया हो।

8.1.2 सेवा क्षेत्र से निर्यात हेतु विपणन विकास सहायता (MDA)

इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता (MDA) योजना प्रस्तावित की गयी है। उ0प्र0 पहला ऐसा राज्य है जिसके द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए विपणन विकास सहायता योजना प्रारंभ की गयी है। जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चिन्हित किये गए 12 चैंपियन क्षेत्रों में सेवा निर्यात को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और परिचालन सहायता प्रदान की जा सके।

इस योजना के अंतर्गत उन सेवा निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश (UPEPB) में पंजीकृत हैं और 12 चिन्हित चैंपियन क्षेत्रों के अंतर्गत सेवा निर्यात श्रेणी में उत्तर प्रदेश से उत्पन्न और आपूर्ति की गई सेवा निर्यातों के प्रचार और विपणन के लिए कार्य कर रहे हैं।

सेवा क्षेत्र की पात्र निर्यातक इकाईयों को निम्नलिखित विपणन और प्रचार गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी-

(a) विदेशी मेले में प्रतिभाग पर वित्तीय सहायता - मेला प्रदर्शनी हेतु स्टॉल किराये पर व्यय धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 2 लाख एवं एक व्यक्ति के लिए इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा पर हुए व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 लाख तक वित्तीय सहायता अनमुन्य।

(b) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घरेलू मेले में प्रतिभाग पर वित्तीय सहायता - मेला प्रदर्शनी हेतु स्टॉल किराये पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 50 हजार एवं एक व्यक्ति हेतु इकोनॉमी क्लास के एयर फेयर पर व्यय धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 25 हजार वित्तीय सहायता अनुमन्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत स्थापित निर्यात संवर्धन परिषदों /ट्रेड प्रमोशन बॉडीज द्वारा आयोजित ईवेंट्स हेतु सहायता - विदेश में बायर्स सेलर्स मीट/व्यापार मेला/प्रदर्शनी के आयोजन पर आयोजक संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ वित्तीय सहायता अनुमन्य।

(d) सेवा निर्यातकों हेतु देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता - आयोजक संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 75 लाख की वित्तीय सहायता अनुमन्य।

8.1.3 गेटवे टू ग्लोबल नेटवर्किंग- MICE इनिशियेटिव्स

माईस (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन्स) तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो वैश्विक पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोगों को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश में हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र MICE आयोजकों को प्रति विदेशी प्रतिभागी रू0 7,000 या रू0 6 लाख प्रति कार्यक्रम, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

8.2 वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना -

प्रदेश के निर्यातकों द्वारा वायुमार्ग से भेजे जाने वाले निर्यात उत्पादों के परिवहन व्यय के सापेक्ष आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु संचालित वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत निर्यातक इकाई द्वारा किये गये व्यय का 30 प्रतिशत या रू0 150 प्रति किलोग्राम (जो भी कम हो) की दर से रू0 10 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निर्यातक इकाई द्वारा देश में स्थित किसी भी एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात किये जाने पर योजनान्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा, यदि निर्यातित उत्पादों का स्टेट ऑफ ओरिजिन उत्तर प्रदेश है।

8.3 गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल भाड़े पर अनुदान योजना -

उत्तर प्रदेश एक भू आच्छादित राज्य होने के कारण यहां से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों को बन्दरगाहों तक भेजने में अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है जिससे इन उत्पादों की निर्यात लागत अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यो के उत्पादों की निर्यात लागत से तुलनान्तमक रूप से अधिक होने के कारण इनकी निर्यात सामर्थ्य प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। प्रदेश की इस भौगोलिक अवस्थिति से प्रदेश के निर्यातकों की निर्यात लागत में होने वाली वृद्धि में आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल भाड़े पर अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश के निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादों को राज्य के इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) या कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFS) के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजने पर योजनांतर्गत 20 फीट कंटेनर पर रू0 20,000 तथा 40 फीट कंटेनर रू0 40,000 अथवा निर्यातक इकाई द्वारा माल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भाड़े पर किये गये व्यय का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत किसी निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम धनराशि रू0 30 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

इसके अतिरिक्त, छोटे निर्यातकों (जिनका पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निर्यात रू0 5 करोड़ या कम है) द्वारा ICD या CFS के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे गए कंटेनर लोड से कम (LCL) शिपमेंट्स के लिए निर्यातक इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

8.4 ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स से इंटीग्रेशन निर्यातकों को उनके निर्यात यात्रा के प्रत्येक चरण में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रत्यक्ष एकीकरण, बाधामुक्त लॉजिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकताओं की जानकारी, निर्यात अनुपालन में सहायता, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाईडर्स के नेटवर्क तक पहुंच, कैटलॉगिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु समर्थन एवं स्किल अपग्रेडिंग के अवसर जैसी विभिन्न प्रकार की समर्थन सेवाएँ प्रदान करता है।

ई-कॉमर्स अवसरों की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातकों का समर्थन करने के लिए, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना प्रथम वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर लिस्टिंग शुल्क पर (विशेष रूप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, सेलर फीस, रेफरल फीस, क्लोसिंग फीस, शिपिंग फीस, गोदाम फीस, लॉजिस्टिक्स फीस, और सब्सक्रिप्शन फीस) 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक इकाई, सहायता अनुमन्य होगी।

8.5 डाक घर निर्यात केंद्र सहायता योजना

डाक घर निर्यात केंद्र (DNK) भारत सरकार के डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की एक पहल है, जिसके तहत छोटे निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक डाक बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स दाखिल कर सकते हैं। DNKs ग्रामीण कारीगरों, एमएसएमई, ओडीओपी विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को सरल प्रक्रिया, डिजिटलीकरण और कम लागत संरचना के साथ अपने उत्पादों का निर्यात करने में सहायता करते हैं। DNKs निर्यात से संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए एक-स्टॉप समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें दस्तावेजीकरण, लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स प्रक्रियाएँ और पैकेजिंग समाधान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थापित DNKs निर्यातकों को थर्ड पार्टी सेवाओं से जुड़े खर्चों को कम करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

डाक घर निर्यात केंद्रों के माध्यम से consignments भेजने वाले निर्यातकों को समर्थन देने और उन्हें DNK ईकोसिस्टम में लाने के लिए, योजनान्तर्गत पोस्टेज शुल्क का 75 प्रतिशत, प्रति निर्यातक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक की सहायता अनुमन्य है।

8.6 निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन

प्रदेश के निर्यातकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु निर्यातक इकाइयों को उनके निर्यात कारोबार में वृद्धि के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष दर वर्ष (YoY) निर्यात वृद्धि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर 1 प्रतिशत धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी, जो प्रत्येक निर्यातक के लिए अधिकतम रू0 20 लाख प्रति वर्ष तक सीमित होगा।

8.7 निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना

राज्य के निर्यातकों के लिए निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजनान्तर्गत प्रदेश की निर्यातक इकाईयों को भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) को सालाना प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रत्येक पात्र निर्यातक इकाई को प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 5 लाख तक वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

8.8 निर्यात-उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन (EOSP) - प्रदेश में निर्यात परक अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित निर्यात अवस्थापना विकास योजना (NAVY) के साथ-साथ नीति में निर्यात-उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन (EOSP) प्रस्तावित किया गया है।

निर्यात-उन्मुख विशिष्ट परियोजना (EOSP) के अंतर्गत निवेशको को निर्यात अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु 40 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी (रू0 10 करोड़ तक) प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। इस योजना के पात्र लाभार्थियों में प्रतिष्ठित और प्रमाणित निजी उद्यम और सेवा प्रदाता शामिल हैं, जो निर्यात-उन्मुख अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, विशेष रूप से परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियां, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहॉसिंग प्रोवाइडर्स, ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट केंद्र, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थान आदि। यह योजना नीति अवधि में निर्यात-उन्मुख अवसंरचना के लिए कम से कम रू0 100 करोड़ परियोजना लागत का समर्थन करने का लक्ष्य रखती है।

इस नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों को WPI से लिंक करते हुए समय - समय पर इनमें वृद्धि की जायेगी।

9. अवसंरचनात्मक विकास

प्रदेश में निर्यात परक अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित निर्यात अवस्थापना विकास योजना (NAVY) और "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)" के साथ -साथ नीति में निर्यात-उन्मुख विशिष्ट प्रोत्साहन (EOSP) प्रस्तावित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा संचालित टाइज योजना तथा अन्य निर्यात परक अवसंरचना के विकास हेतु संचालित योजनाओं से डवटेलिंग करते हुए प्रदेश में निर्यातपरक अवसंरचना के विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नेवी योजना को समयानुकूल एवं तार्किक बनाया जायेगा। निर्यात परक अवस्थापना सुविधाओं में विद्यमान गैप्स को दूर करने के लिए ऐसी परियोजनाएं जो निर्यात प्रोत्साहन नीति के अनुरूप हों, क्षेत्र की निर्यात संभावनाओं की पहचान कर उसका उपयोग कर सकें तथा, प्रत्यक्ष रूप से निर्यात को बढ़ावा दें, के अंतर्गत अधिक निवेश को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

10. निर्यात सुगमता (Ease of Doing Exports)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10.1 संस्थागत समन्वय और शिकायत निवारण

ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिये जाने हेतु संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करना, प्रक्रियागत अड़चनों और लेन-देन लागतों को कम करना, डिजिटल एकीकरण में सुधार और राज्य में निर्यातकों के अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना सम्मिलित है।

एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की सुगम ट्रैकिंग हेतु निर्यात संबंधित प्रक्रियाओं के संदर्भ में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के रियल टाइम परफारमेंस मैट्रिक्स को प्रदर्शित किया जायेगा।

10.2 बाजार विकास

बाजार विकास उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका उद्देश्य मार्केट इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए प्रदेश के उत्पादों की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना और राज्य के निर्यातकों के लिए व्यापार के अवसरों का निर्माण करना है। यह अध्याय प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में मार्केट रिसर्च चेयर स्थापित करने, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग करने, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों की मेजबानी करने, विदेशी व्यापार दूतावासों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश के निर्यात योग्य जीआई-टैग वाले उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों में ब्रांड निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये उपाय नए बाजार अवसरों को खोलने और मौजूदा अवसरों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखते हैं।

10.2.1 मार्केट रिसर्च चेयर - मार्केट इंटेलिजेंस और डेटा-आधारित निर्णयन उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि रणनीतियाँ वैश्विक रुझानों के अनुरूप हों। इस पहल के अन्तर्गत प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम. तथा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों में मार्केट रिसर्च चेयर की स्थापना की जायेगी। ये विशिष्ट अनुसंधान इकाइयाँ उत्तर प्रदेश के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक्शनेबल मार्केट इंटेलिजेंस उपलब्ध करायेंगी। नीति की अवधि में मार्केट रिसर्च चेयर्स की स्थापना हेतु रू0 5 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की जायेगी।

प्रमुख कार्य - बाजार अवसर विश्लेषण, उत्पाद मांग पूर्वानुमान, एक्सपोर्ट परफॉरमेंस ट्रैकिंग, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, नीति प्रभाव मूल्यांकन, के अतिरिक्त मार्केट रिसर्च चेयर द्वारा एनुअल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश की निर्यात प्रोत्साहन रणनीतियों की समीक्षा और सुधार के लिए लक्षित रिपोर्ट तैयार किया जायेगा साथ ही निर्यातकों के लिए इंटरएक्टिव डैशबोर्ड, जो व्यापार रुझानों, निर्यात गंतव्यों और विनियम अपडेट्स पर जानकारी प्रदान करेगा, का संचालन किया जायेगा।

10.2.2 ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स का लाभ - प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स जिनमें ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स (ओ.एन.डी.सी) भी सम्मिलित है, के साथ कोलेबोरेशन, सपोर्ट

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ईकोसिस्टम का विकास एवं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से राज्य के निर्यातकों को ई-कॉमर्स के अवसरो का लाभ उठाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10.2.3 विदेशी व्यापार दूतावासों के साथ सहयोग - निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में एक समर्पित विदेशी व्यापार दूतावास संपर्क डेस्क स्थापित किया जाएगा, जो विदेशों में भारतीय कूटनीतिक मिशनों के वाणिज्यिक विंग्स के साथ संपर्क बनाएगा। इस सम्पर्क डेस्क के माध्यम से संभावित खरीदारों और बाजार प्रवृत्तियों पर जानकारी एकत्रित की जायेगी जिसे प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने के लिए लाभकारी रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

10.2.4 उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन फंड

उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु नीति के अन्तर्गत डेडिकेटेड फंड (उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन फंड) प्रस्तावित किया गया है। इस फंड के अन्तर्गत रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग मार्केट रिसर्च के माध्यम से चिन्हित किये गये प्रदेश के उन उत्पादों की वैश्विक स्तर पर दृश्यता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, जिनमें उच्च निर्यात क्षमता विद्यमान है।

इस कोष का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनी तथा वैश्विक सम्मेलनों में प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रतिभाग करते हुए, डेडिकेटेड स्टॉल, बूथों और पवेलियन के माध्यम से ब्रांड यूपी को शोकेस करने, EU प्रोटेक्टेड GI जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने, डिजाइन संस्थानों जैसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (IIP) इत्यादि के सहयोग से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्रशिक्षण, क्षमता विकास, बाजार अध्ययन, उद्योग सर्वेक्षण, डिजाइन सहयोग, ब्रांड प्रमोशन, प्रदेश के निर्यात योग्य उत्पादों के लिए QR आधारित प्रमाणीकरण तंत्र का विकास इत्यादि गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी, जिससे निर्यात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उत्पाद डिजाइन में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

10.3 प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं कार्मिकों (Workforce) का विकास

निर्यातकों को कौशल, ज्ञान और संसाधन से समृद्ध करके ही प्रदेश के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। वर्ष 2025-2030 हेतु निर्धारित निर्यात दृष्टिकोण बहु-आयामी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीति पर बल देता है, जिसका उद्देश्य निर्यातक इकाईयों को सशक्त बनाना और निर्यात के लिए उनकी तत्परता को बढ़ाना है।

10.3.1 ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (Trade Facilitation Centres)

उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को उपलब्ध सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, रणनीतिक स्थानों पर डेडिकेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अन्तर्गत मर्चेन्डाइज्ड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (MTFC) एवं सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (STFC) स्थापित किये जायेंगे। निर्यात प्रधान जनपदों में मर्चेन्डाइज्ड ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (MTFC) की स्थापना की जायेगी। इस हेतु रू0 7.5 करोड़ की धनराशि प्रावधानित की जायेगी। गौतमबुद्धनगर, जो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र का प्रमुख हब है, में सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (STFC) की स्थापना की जायेगी। इस हेतु रू0 2.5 करोड़ की धनराशि प्रावधानित की जायेगी।

ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर द्वारा सूचना का प्रसार और परामर्श सेवाएं, एक्सपोर्ट कंप्लाइंस एवं डॉक्यूमेंटेशन संबंधी समर्थन, मार्केट रिसर्च चेयर द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्केट इंटेलिजेंस और व्यापार डेटा का निर्यातकों के मध्य प्रसार, के माध्यम से निर्यातकों की बाजार पहुँच और व्यापार विस्तार में सहयोग, क्रेडिट और बीमा प्राप्त करने में सहायता, प्रशिक्षण और आउटरीच हेतु एक मोबाइल यूनिट गठित किया जाना, उत्तर प्रदेश के मर्चेन्डाइज्ड और सेवा निर्यातकों का डेटाबेस तैयार एवं अद्यतन करना जैसी गतिविधियों का संपादन किया जायेगा।

10.3.2 वन स्टॉप डिजीटल इन्फारमेशन हब

निर्यातकों के लिए आवश्यक निर्यात-संबंधी जानकारी और समर्थन तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति में एक व्यापक "डिजिटल रिसोर्स टूलकिट" के विकास पर बल दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य निर्यातकों को यूजर फ्रैंडली डिजिटल टूल्स, लक्षित मार्गदर्शन और सहज संवाद चैनल प्रदान करना है। इस हेतु एक केंद्रीकृत, वन स्टॉप डिजीटल इन्फारमेशन हब स्थापित किया जाएगा, जो निर्यातकों हेतु उपयोगी रिसोर्सेज, अपडेट्स और सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। इस पहल के अन्तर्गत, निर्यात प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन, डेडिकेटेड हेल्पडेस्क और हेल्पलाइन, वीडियो ट्यूटोरियल्स, एआई चैटबोट सहायता, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन, व्यापार मेलों की सूची, गुणवत्ता मानकों का संकलन, मार्केट इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, जिला-वार निर्यात कार्ययोजनाएं, वर्चुअल पविलियन, योजनाओं एवं मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के लाभ, एक्सपोर्ट एसिस्टेंस रिसोर्सेज, निर्यातकों हेतु परामर्श एवं शिकायत निवारण तंत्र इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

10.4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) -

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और रणनीतिक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापित की जायेगी। ट्रेड फैसिलिटेशन, निर्यात संवर्धन और नीति क्रियान्वयन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख थिंक टैंक या परामर्श एजेंसी द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। नीति के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना हेतु रू0 10 करोड़ की धनराशि प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है। इस यूनिट द्वारा समय के साथ परिवर्तित होते वैश्विक एवं राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में प्रदेश से निर्यात प्रोत्साहन हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट द्वारा नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन हेतु ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर और मार्केट रिसर्च चेयर के मध्य समन्वय, नीति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रभाव का आंकलन, प्रमुख परफारमेंस इंडिकेटर्स (KPIs) को मापने और मध्यावधिक सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सुदृढ़ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित करना, अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ावा, वैश्विक व्यापार लिंकेज, क्षमता विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने हेतु प्रयास, उत्तर प्रदेश को प्रमुख निर्यात हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सेक्टर स्पेसिफिक चुनौतियों को चिन्हित करते हुए उनका समाधान, विशिष्ट कार्यक्रमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन के माध्यम से निर्यातकों तक पहुंच में वृद्धि एवं जागरूकता का प्रसार जैसी गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी।

10.5. नीति के क्रियान्वयन हेतु आने वाला सम्भावित व्यय भार- निर्यात नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न इनिशियेटिव्स/संस्थानों के निर्माण/उपादनों/अनुदानों की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप निर्यात नीति पर 2025-30 की समयावधि तक आने वाला सकल व्यय भार 882 करोड़ संभावित है।

11. राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य निर्यात प्रोत्साहन नीतियों का एकीकरण

राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु संचालित नीतियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश के निर्यातकों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

12. राज्य निर्यात पुरस्कार - निर्यात के क्षेत्र में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु संचालित राज्य निर्यात पुरस्कार योजना को समयानुकूल तार्किक एवं युक्तिसंगत बनाया जायेगा।

13. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

14. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E)

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्यात नीति FY 2025-30 का मध्यावधिक मूल्यांकन किया जायेगा ताकि यह आंकलन किया जा सके कि नीति के परिणाम नीति के घोषित दृष्टिकोण और उद्देश्यों के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। इस मध्यावधिक मूल्यांकन से प्राप्त फीडबैक, नीति की अवधि के अंत तक, घोषित नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान करेगा।

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।